बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–08.01.2026

संचिका संख्या–03/आ01–65/2020.1/346682/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–2300 दिनांक 04.11.2019 द्वारा श्री विद्यानन्द ठाकुर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा अतिरिक्त प्रभार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधुबनी के विरूद्ध शिक्षक नियोजन वर्ष–2019–20 के लिए रोस्टर क्लीयेरेंस कराने हेतु नियोजन ईकाईवार कार्यक्रम नियोजित करने में विफल रहने एवं आदेश का अवहेलना करने, वर्ष–2019–2020 लाभुक आधारित योजना के लिए डाटा प्रवृष्टि ससमय कराने में विफल रहने, एम.जे.सी. सं.–2024/18 नीलू त्रिपाठी बनाम राज्य सरकार के ससमय वादीगणों को भुगतान एवं वेतन निर्धारण में विफल रहने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उपस्थिति के लिए बाध्य करने, शिक्षकों के प्रोन्नति एवं सेवान्त लाभ के मामलों में अभिरूचि नहीं लेकर अनावश्यक विलम्ब करने, अदूरर्शिता का परिचय देकर विभाग और सरकार की राशि की अवैध निकासी में सहयोग प्रदान करने, उच्चधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, घोघरडीहा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब एवं आदेश की अवहेलना करने, RTE ACT अंतर्गत जिले को प्राप्त राशि, मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना की राशि, बिहार दर्शन योजना की राशि की निकासी नहीं कर राशि प्रत्यार्पित कर देने, मदरसा शिक्षकों के लिए अवंटित राशि के अवशेष रहने के वाद भी भुगतान नहीं करने, नियोजित शिक्षकों के DEP एरियर का भुगतान में Pick and Choose करने, सेवांत लाभों का भुगतान रोक कर रखने, बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के पेंशन नियमावली 43 (बी) के अंतर्गत कार्यवाही करने, निलंबन आदेश का अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त किये बिना पत्र निर्गत करने, नियमित प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के तथ्यों की समीक्षा नहीं कर दस लाख रूपये से अधिक राशि का भुगतान करने तथा वैसे शिक्षक जो हड़ताल में नहीं थे उनका वेतन भुगतान नहीं करने, वित्तीय अनियमितता करने में संलिप्त प्रभारी प्रधानाध्यापक को जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त भी निलंबित नहीं कर मामले को छिपाये रखने एवं वित्तीय धोखाधड़ी करने के आरोपित प्रधानाध्यापक को बचाने की कुचेष्टा करने आदि के आरोपों के लिए संकल्प सं.–507 दिनांक 23.08.2022 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कतिपय आरोपों पर कोषागार से पुष्टि कराए जाने का मंतव्य दिया गया, जबकि कुछ आरोपों को प्रमाणित/आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. एतद् आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा आरोपी पदाधिकारी द्वारा आरोप सं.–12 में अंकित कथन को सत्य होने की पुष्टि किया गया। अन्य मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–5025 दिनांक 17.10.2025 द्वारा आरोप सं.–09 के संबंध में अंकित किया गया है कि वरीय कोषागार पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कोविड–19 समयावधि में लॉकडाउन की स्थिति के कारण विपत्र पारित नहीं किये जाने संबंधी कथन सत्य नहीं है। आरोपी पदाधिकारी के कथन की पुष्टि नहीं की जा सकती है एवं आरोप सं.–15 के संबंध में अंकित किया गया है कि वरीय कोषागार पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार किसी भी प्रकार के अनियमित निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (अपने मेकर चेकर के साथ) जिम्मेवार होते हैं, अर्थात आरोपी पदाधिकारी के कथन की पुष्टि नहीं की जा सकती है। वरीय कोषागार पदाधिकारी के मंतव्यात्मक प्रतिवेदन में यह वर्णित है कि कोविड–19 समयावधि में लॉकडाउन की स्थिति के बावजूद निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार में Submit किये गये विपत्र पारित

किये जाते थे। वित्त विभाग के पत्रांक–2118, दिनांक 19.03.2020 के अनुसार कोषागार कार्यालय में स्कीम मद से संबंधित ऑनलाइन विपत्र दिनांक 25.03.2020 तक भेजे जा सकते थे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र को निरस्त करने के संबंध में विदित हो कि सी.एफ.एम.एस. प्रणाली में कोषागार पदाधिकारी के Login में विपत्र निरस्त करने का Option नहीं है बल्कि विपत्र में आपत्ति दर्ज कर वापस करने का Option है। कोषागार में समर्पित प्रत्येक विपत्र के लिए निकास एवं व्ययन पदाधिकारी (अपने मेकर एवं चेकर के साथ) जिम्मेवार होते है। विपत्र की शुद्धता का जाँच कर ही कोषागार में भेजा जाना चाहिए था, अतएव संबंधित आरोप प्रमाणित है।

4. उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–327600 दिनांक 01.12.2025 द्वारा श्री ठाकुर से पुनः लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी है। श्री ठाकुर का लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप संख्या–09 के संबंध में अंकित किया गया है कि टंकन भूल के कारण उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव अभिकथन में "कोविड 19 के आपातकालीन स्थिति के समय में संबंधित विपत्रों को पारित करने हेतु संध्याकाल कोषागार संचालित हो रहा था। शुद्धि पत्र विभाग से दिनांक–24.03.2020 को प्राप्त होने के उपरान्त विपत्र कोषागार को भेजा गया। अंतिम तिथि–25.03.2020 निर्धारित रहने के कारण कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं हो सका तथा आपत्ति के साथ कार्यालय को वापस किया गया, के स्थान पर कोविड–19 के संबंधित विपत्रों को पारित करने हेतु संध्याकाल में कोषागार संचालित रहने के कारण कोषागार पदाधिकारी द्वारा उक्त विपत्र को निरस्त कर दिया गया" अंकित हो गया था। विपत्रों को पारित करने हेतु संध्याकाल में कोषागार संचालित हो रहा था। विभाग का शुद्धि पत्र दिनांक–24.03.2020 को प्राप्त हुआ। कोषागार से विपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि–25.03.2020 निर्धारित थी। विभागीय शुद्धि पत्र के आलोक में विपत्र तैयार कर कोषागार में भेजी गयी, परन्तु समयाभाव के कारण कार्यालय द्वारा कुछ त्रुटि हो गयी थी। उस कारण से उक्त विपत्र को निरस्त करना पड़ा तथा शुद्ध विपत्र तैयार किया गया, परन्तु अंतिम तिथि (25.03.2020) समाप्त हो जाने के कारण उक्त विपत्र के आलोक में कार्रवाई नहीं हो पायी। यह मुख्यतः शुद्धि पत्र विलम्ब से प्राप्त होने एवं समयाभाव के कारण हुआ था, जानबूझ कर ऐसा नहीं किया गया था। आरोप संख्या–15 के संबंध में अंकित किया गया है कि मेकर एवं चेकर के माध्यम से प्राप्त विपत्र भुगतान हेतु भेजा गया। C.F.M.S. प्रणाली के तहत विपत्र तैयार करना तथा उसकी जाँच की मुख्य भूमिका मेकर एवं चेकर की होती है। समयाभाव के कारण उक्त विपत्रों की जाँच करना समय से नहीं हो पाया था, परन्तु शुद्धि की जानकारी होने पर तुरन्त सुधार कर विभागीय निर्देश के आलोक में भुगतान की कार्रवाई कर दी गयी थी।

5. श्री विद्यानंद ठाकुर पर अधिरोपित आरोपों, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई है, जिसमे यह ज्ञात होता है कि कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरतते हुए कार्यालय को आवंटित राशि की निकासी नहीं कर छात्र/छात्राओं के हित के विरूद्ध प्रत्यर्पित कर दिए जाने का आरोप पूरक प्रतिवेदनों के आधार पर प्रमाणित पाया गया है। इसी प्रकार मदरसा शिक्षकों एवं संस्कृत शिक्षकों के लिए आवंटित राशि की उपलब्धता के बावजूद इसका भुगतान नहीं किए जाने संबंधित आरोप भी साक्ष्यों के आधार पर आंशिक प्रमाणित पाया गया है। नियमित प्रारंभिक शिक्षक/शिक्षिकाओं के वेतन भुगतान के तथ्यों की समीक्षा नहीं कर दस लाख रूपये से अधिक की राशि का भुगतान कर दिए जाने से संबंधित आरोपएवं गबन, धोखाधड़ी एवं वित्तीय अनियमितता करने में संलिप्त प्रभारी प्रधानाध्यापक को बचाने की कुचेष्टा का आरोप भी प्रमाणित/आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। इन प्रमाणित/आंशिक प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा जो बातें अपने अभ्यावेदन में कहीं गई हैं, वह साक्ष्यों से समर्थित नहीं हैं। अतएव इनके लिखित अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया है।

6. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री विद्यानन्द ठाकुर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा अतिरिक्त प्रभार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधुबनी संप्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के रूप में प्रतिनियुक्त) पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 14(v) के अंतर्गत **"संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धियों की रोक"** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

7. उक्त पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/आ01–65/2020...I/346682...../ पटना, दिनांकः–**08.01.2026**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/श्री विद्यानन्द ठाकुर, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा अतिरिक्त प्रभार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधुबनी संप्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के रूप में प्रतिनियुक्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 08-01-2026 14:24:12